संख्या-86/130/84-1-14-15बामा/2013

प्रेषक

धर्म चन्द्र पाण्डेय
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

नियंत्रक
विधिक माप विज्ञान विभाग
उ0प्र0 लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 13 फरवरी 2014

विषय- श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान बदायूँ के लीवर प्रत्यारोपण हेतु अग्रिम धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-537/निविमावि-अधि-1(वै0प0-37)/14 दिनॉक 04 फरवरी 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान बदायूँ के इन्स्टीट्यूट ऑफ लीवर एण्ड बिलियरी साइन्स नई दिल्ली में लीवर प्रत्यारोपण कराये जाने हेतु अनुमानित व्यय आगणन रू0 14,00,000/- की 75 प्रतिशत धनराशि रू0 10,50,000/- (दस लाख पचास हजार रूपये) मात्र चिकित्सा अग्रिम के रूप में स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) कर्मचारी समायोजन/प्रतिपूर्ति दावा इनके उपयोग किये जाने के तत्काल पश्चात् किन्तु उपचार समाप्त हो जाने के तीन माह के पूर्व प्रस्तुत करेगा।

(2) किसी भी स्थिति में दूसरा अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जायेगा जबतक कि पूर्ववर्ती अग्रिम समायोजित न कर लिया गया हो।

(3) प्रत्येक स्वीकर्ता प्राधिकारी परिशिष्ट घ में यथाविहित प्रारूप और रीति में एक रजिस्टर रखवायेगा।

(4) आहरण एवं वितरण अधिकारी अग्रिम हेतु बिल (बीजक) पर प्रमाणक देगा कि स्वीकृत अग्रिम की ऐसे रजिस्टर में प्रविष्टि कर ली गयी है।

(5) यदि अग्रिम के समायोजन के लिये चार माह के भीतर दावा नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि लाभार्थी के वेतन से मासिक किश्तों में काट ली जायेगी जो सकल वेतन के आधे से अधिक नहीं होगी।

(6) यदि चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत हो जाने के पश्चात् उपचार नहीं प्रारम्भ होता तो ऐसे अग्रिम की वापसी तीन महीनों में की जानी होगी और यदि ऐसे अग्रिम की वापसी तीन माह की अवधि के भीतर नहीं की जाती है तो दण्डात्मक व्याज भी आरोपित किया जायेगा। जिसकी गणना चिकित्सा अग्रिम की स्वीकृति के दिनॉक से की जायेगी।

(7) उपचार पर व्यय की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति एम्स की दरों पर की जायेगी।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियमन-49-चिकित्सा व्यय के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-एफ.ए.1-36/दस-2014 दिनॉक 12 फरवरी 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- /130(1)/84-1-14-तदद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र लखनऊ।
3- कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4- सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान बरेली सम्भाग बरेली।
5- श्री शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान बदायूँ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in